न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 311 सन 2018
अनवान :–

1. भूपसिह 2 लीलाधर 3 मदनलाल पि0 जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. जयलाल पुत्र गणपत उर्फ गणपतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. प्रंन्बधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा फेफाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 07.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा 4 जेएसएन के खाता संख्या 18/17 की कुल 1.0120हैक व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 27/28 की कुल 3.0357हैक व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 25/25 की कुल 1.5180हैक व चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 51/51 की कुल 1.0120हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा जयलाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरासतन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा जयलाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति मे वादीगण संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या का बराबर का हक हिस्सा जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है अतः वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 जेएसएन के खाता संख्या 18/17 की कुल 1.0120हैक व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 27/28 की कुल 3.0357हैक व रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 25/25 की कुल 1.5180हैक व चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 51/51 की कुल 1.0120हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official